सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

K.Y.V./DA
[illegible]

महाशय,

फुलवा देवी पति अर्जुन प्रसाद यादव

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं अर्जुन प्रसाद यादव पिता श्री [illegible]

ग्राम महात्मा गांधी नगर पो0 झुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा झुमरी
2. थाना तिलैया
3. थाना न0 12
4. खाता न0 114
5. प्लॉट न0 5551
6. रकवा 4 डिसमिल
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न0 0057476209 वर्ष 2021-2022 ई0
9. दा0 खारिज वाद संख्या 2889/2018-2019

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

फुलवा देवी
विश्वासभाजन
[illegible]

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं0 268/2022

15.9.2022

आवेदिक श्री अर्जुन प्रसाद यादव पिता श्री मेधन महतो, 2 फुलवा देवी पति श्री अर्जुन प्रसाद यादव, साकिन–महात्मा गांधी रोड़, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
गुमो	12	114	5551	04 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 22/09/2022 को प्रस्तुत करें।

15/09/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

22.09.2022

13.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–114, प्लॉट सं0–5551 रकवा–04 डी0 भूमि श्री अर्जुन प्रसाद यादव पिता श्री मेधन महतो, 2 फुलवा देवी पति श्री अर्जुन प्रसाद यादव के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–74 भाग सं0–52 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में विविध वाद सं0–2889/ 2018–19 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–01 दिनांक–02.01.2019 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2021–22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–12 दिनांक–12.09.2022. (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–114, प्लॉट सं0–5551 रकवा–04 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–114, प्लॉट सं0–5551 रकवा–04 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

13/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.01.09 13:05:36 +05:30
Location: 192.168.29.246